UPRB010016442026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी–(अमित पाल सिंह), (एच जे एस)–UP05691

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–669/2026

आदित्य पटेल उर्फ चुम्भी उम्र लगभग 20 वर्ष, पुत्र वासुदेव, निवासी रामनगर, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

...प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

....विपक्षी/अभियोगी।

17–03–2026

आवेदक–अभियुक्त **आदित्य पटेल उर्फ चुम्भी** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अपराध संख्या 35/2026, धारा–303(2),317(2),3(5) **भारतीय न्याय संहिता** 2023, थाना **डीह,** जिला **रायबरेली** के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में इस आशय की दर्ज करायी गयी कि– दिनांक 02–03–2026 को वादी ग्राम महानन्दपुर में राकेश तिवारी के यहाँ तिलक समारोह में अपने भाई धीरेन्द्र कुमार के साथ करीब शाम 6 बजे गया था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब समय करीब 11 बजे रात में बाहर आए तो उसकी मोटर साइकिल हीरो स्पेलेडर प्रो०नं० UP 33 AB 6119 वहां नही थी। बहुत खोजा किन्तु नही मिली, लगता है अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर ली गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के अनुक्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी और उसके कब्जे से चोरी के कथित मोटर साइकिल की बरामदगी की गयी। मामले में विवेचना प्रचलित है।

आवेदक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक–अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठे तथ्यों के आधार पर गलत फंसा दिया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नही किया गया है। आवेदक–अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नही है। आवेदक–अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नही हुयी है। फर्जी बरामदगी दिखायी गयी है। कथित बरामदगी व गिरफ्तारी का कोई स्वतन्त्र चक्षुदर्शी जनसाक्षी नही दर्शाया गया है। पुलिस आवेदक–अभियुक्त को उसके

घर से पकड़कर थाने ले गयी और फर्जी बरामदगी दिखाकर जेल भेज दिया। आवेदक–अभियुक्त के पास कोई ड्राइविंग लाइसेन्स नही है और न ही वह मोटर साइकिल चलाना जानता है। पुलिस ने मात्र गुडविल पाने के उद्देश्य से फर्जी चालान कर दिया है। आवेदक–अभियुक्त के पिता विकलांग है, वह अपने पिता के साथ रहकर खेती बाड़ी आदि करता है। आवेदक–अभियुक्त दिनांक 05–03–2026 से जेल में निरूद्ध है। आवेदक–अभियुक्त विश्वसनीय जमानत देने को तैयार हैं। वह जमानत का दुरूपयोग नही करेगा। तद्नुसार आवेदक–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभियोजन की और से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक–अभियुक्त द्वारा कथित चोरी की घटना कारित की गयी है। दौरान विवेचना आवेदक–अभियुक्त को पकड़ा गया और उसके पास से चोरी के कथित मोटर साइकिल की बरामदगी की गयी है। आवेदक–अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

अभियोजन कथानक व अभियुक्त की ओर से लिए गये बचाव के अनुसार दिनांक 02–03–2026 की समय 23.00 बजे की कथित मोटर साइकिल चोरी की घटना के बाबत दिनांक 03–03–2026 को 23.43 बजे अज्ञात के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। तदोपरान्त दिनांक 05–03–2026 को प्रार्थी/अभियुक्त से कथित चोरी की मोटर साइकिल की बरामदगी के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में नामित किया गया है। कथित बरामदगी व गिरफ्तारी का कोई स्वतन्त्र साक्षी संदर्भित नही किया गया है। समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक–अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने के आधार पर्याप्त पाता हूँ। तद्नुसार उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक–अभियुक्त **आदित्य पटेल उर्फ चुम्भी** को अपराध संख्या **35/2026**, धारा–**303(2),317(2),3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023,** थाना **डीह,** जिला **रायबरेली** के मामले में, उसके द्वारा पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने तथा अधोवर्णित वचनपत्र दाखिल करने की शर्त पर, जमानत पर रिहा किया जाये।

1– यह कि आवेदक–अभियुक्त दौरान साक्ष्य साक्षी/साक्ष्य से छेड़खानी नही करेगा ।

2– यह कि आवेदक–अभियुक्त इस आशय का वचन दाखिल करेगा कि अभियोजन साक्षी के उपस्थित होने पर साक्ष्य की तिथियों में कोई स्थगन प्रार्थनापत्र योजित नहीं करेगा और यदि अभियुक्त के द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र दिया जाता है तो सम्बन्धित न्यायालय उक्त स्थगनको वचन भंग मानते हुये जमानत का दुरूपयोग मानकर विधि अनुसार अभियुक्त की जमानत निरस्त करने हेतु अधिकृत होगा।

3– यह कि आवेदक–अभियुक्त प्रत्येक परिस्थिति में सम्बन्धित परीक्षण न्यायालय में निम्न वर्णित स्तर पर सकारात्मक रूप से उपस्थित रहेगा–

I. परीक्षण प्रारम्भ होने के स्तर पर।

II. आरोप गठित होने की तिथि में।

III. बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० कलमदर्ज होने की तिथि में।

उपरोक्त तीनों स्तर पर यदि आवेदक–अभियुक्त की अनुपस्थिति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अथवा जानबूझ कर कारित पायी जाती है तब परीक्षण न्यायालय को उक्त अनुपस्थिति को जमानत की शर्तों का उल्लंघन मानते हुये विधि अनुसार जमानत निरस्त करते हुये प्रभावी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

(अमित पाल सिंह)
UP05691
सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।
17–03–2026

Renu Srivastava
Stenographer

Digitally signed by AMIT PAL SINGH
Date: 2026.03.17 15:19:53 IST
Reason: Document Owner,order
Location: District and Sessions Court,Raebareli